उ0प्र0 विधान परिषद के प्रथम सत्र 2024 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित श्री आशुतोष सिन्हा, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न सं0-22 का उत्तर।

प्रश्न

22(क)- क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि नियंत्रक व महालेखा परीक्षक सी०ए०जी० की वर्ष 2023 में पेश रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में ऊर्जा विभाग में कुल कितने रूपयों की अनियमिततायें पायी गयी और इस संबंध में सरकार द्वारा कितने दोषियों पर क्या कार्यवाही हुई है?

उत्तर

1. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विभिन्न विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निकायों आदि की उनके द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा कर प्रतिवर्ष प्रतिवेदन निर्गत किये जाते हैं।
2. भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों / उद्यमों के लेखा परीक्षा के परिणामों को प्रस्तुत किया जाता है जिसमें उल्लिखित आडिट प्रस्तरों पर निर्धारित प्रकियानुसार उ०प्र० विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति द्वारा विचार किया जाता है।
3. उ०प्र० विधान सभा के मा० अध्यक्ष महोदय द्वारा अन्य समितियों के साथ उ०प्र० विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति का गठन किया जाता है जिनके द्वारा ही समय-समय पर बैठक आयोजित कर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के विभिन्न वर्षों के वाणिज्यिक / संगत प्रतिवेदनों के चिन्हित प्रस्तरों पर चर्चा कर निर्णय लिया जाता है।
4. सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति की बैठक में समिति के विधान मण्डल के दोनों सदनों के सदस्यों के अतिरिक्त महालेखाकार या उनके प्रतिनिधि एवं उ०प्र० शासन के सार्वजनिक उद्यम विभाग के अधिकारी भी भाग लेते हैं।
5. भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में निहित प्रस्तरों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां सम्बन्धित उपक्रमों द्वारा उ०प्र० शासन के सम्बन्धित विभाग के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार विधान सभा की समिति (वित्त) अनुभाग-2 को उपलब्ध कराई जाती है। उक्त प्रक्रिया का अनुपालन किया जा रहा है।

वर्तमान में उ०प्र० सरकार के विधान सभा पटल पर महालेखाकार द्वारा वर्ष 2023 में रखे प्रतिवेदनों, जिनमें ऊर्जा क्षेत्र के उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० एवं सहयोगी वितरण निगमों की स्थिति अंकित की गयी है जिस पर उपरोक्त प्रक्रियानुसार अग्रेतर कार्यवाही मा० सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति के माध्यम से किया जाना अपेक्षित है।

(ख) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे? उपरोक्तानुसार।

(ग) यदि नहीं तो क्यों ? उपरोक्तानुसार।

ए0 के0 शर्मा
ऊर्जा मंत्री।